राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2016 ग्राम पंचायत बोरवा

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम**

**(मूलसिंह राजावत पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)**

**कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत लगेतखेडा**

प्रकरण सं. – 65/**2014** रे0वा0 396 निर्णय दिनांक – 10.05.2016

**अनवान**

1. मोहन सिह पिता श्री बन्ना सिह जाति रावत आयु 52 वर्ष निवासी लगेतखेडा तहसील भीम जिला राजसमन्द(राज.)

वादी

**बनाम**

1. श्री लक्ष्मण सिह पिता श्री किशन सिह जाति रावत आयु 45 वर्ष निवासी लगेतखेडा भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द(राज.)
2. श्री बाबू सिह पिता श्री लालसिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी लगेतखेडा भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द(राज.)
3. श्री हजारी सिंह पिता श्री लाल सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी लगेतखेडा भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द(राज.)

.............. प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राज. काश्त. अधि. वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा।

महोदय जी,

वादी का वादपत्र निम्न है:

**<u>वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राज. काश्त. अधि.</u>**

यह कि मौजा लगेतखेडा पटवार हल्का लगेतखेडा तहसील भीम जिला राजसमन्द में निम्न विवादित आराजियात जो कि निम्न हैं –

1.

(क)

| खाता नम्बर | खसरा नम्बर | रकबा | | | किस्म |
|---|---|---|---|---|---|
| | | बीघा | बिस्वा | बिस्वांसी | |
| 324 | 1147 | 0 | 5 | 10 | चाही |
| | 1150 | | 7 | 0 | चाही |
| | 2202/1147 | 0 | 8 | 0 | बंजड |
| | **कुल किता 3 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वांसी** | | | | |

(ख)

| खाता नम्बर | खसरा नम्बर | रकबा | | | किस्म |
|---|---|---|---|---|---|
| | | बीघा | बिस्वा | बिस्वांसी | |
| 323 | 1149 | 0 | 8 | 10 | चाही |
| | **कुल किता 1 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वांसी में 1/2 हिस्सा** | | | | |

यह कि वादी ने ग्राम हथूण पटवार हल्का लगेतखेडा में दिनांक 18/11/2003 को जरिये पंजीकृत बयनामें के प्रतिवादी संख्या 1 श्री लक्ष्मण सिंह से प्रतिफल की राशि 1,00,000/– रूपये अक्षरे एक लाख रूपये का भुगतान कर अन्य आराजियात के साथ खसरा नं. 1147 रकबा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म चाही, खसरा नं. 1150 रकबा 7 बिस्वा किस्म चाही व खसरा नं. 2202/1147 रकबा 8 बिस्वा किस्म बंजड कुल 3 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण तथा खसरा नं. 1149 रकबा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म चाही का 1/2 हिस्सा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था।

यह कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख की फोटोकोपी तत्कालीन पटवारी को उक्त भूमि का नामान्तरण वादी के नाम से भर कर ग्राम पंचायत लगेतखेडा में पेश करने को दिया तथा तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा वादी के पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरण संख्या 597 भर कर ग्राम पंचायत लगेतखेडा में भेजा गया था तथा वादी को बता दिया कि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम जिला - राजसमन्द

उसके नाम नामान्तरण स्वीकृत हो गये है। वादी जो एक भोला भाला किसान है उसने पटवारी हल्का की बात को सही मान ली तथा आज तक वह उसके द्वारा जरिये पंजीकृत बयनामें खरीदी गई समस्त भूमि को अपने नाम पर होना जानता व मानता रहा । जबकि खसरा नं. 1147,1150,2202/1147 सम्पूर्ण तथा 1149 का 1/2 हिस्सा वादी के नाम पर दर्ज ही नही हुआ।

वादी द्वारा श्री लक्ष्मणसिह पिता श्री किशनसिंह का वादपत्र की कलम संख्या 1 क में वर्णित आराजियात का सम्पूर्ण हिस्सा तथा वादपत्र की कलम संख्या 1 ख में वर्णित आराजियात का 1/2 हिस्सा जरिये पंजीकृत बयनामे के खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा तब से आज तक उक्त आराजियात पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है वादी खाते मे से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटवा कर खुद का नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। इसके लिये यह वादपत्र पेश किया जा रहा है।

अतः वादी का वाद न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प लगेतखेडा** मे पेश हुआ। अतः वादीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण मे हम कोई कार्यवाही नही करना चाहता हूं। अतः प्रकरण में कार्यावाही बन्द की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हैं। निर्णय सुनाया गया।

( )

**पीठासीन अधिकारी**

उपखण्ड अधिकारी, भीम

जिला - राजसमन्द